

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।


पत्रांक 3255 / ओएसडी-डीएम-कानपुर / कोविड-19 / 2020

दिनांक : 21-05-2020

आदेश

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 17-5-2020 एवं मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, (गृह गोपन अनुभाग-3) के पत्र संख्या-924/2020/सीएक्स-3 दिनांक 18-5-2020 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में कोविड-19 महामारी के रोकथाम हेतु जनपद कानपुर नगर में लॉकडाउन दिनांक 31-5-2020 तक लागू है।

लॉकडाउन अवधि में विवाह समारोह तथा अन्तिम संस्कार के कार्यक्रमों हेतु अनुमति दिये जाने के लिए संबंधित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेटों को अधिकृत किया जाता है। संबंधित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेटगण कोविड-19 के प्राविधानों एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में वर्णित शर्तों के अधीन संबंधित थानाध्यक्ष से आख्या प्राप्त कर अनुमति निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।



(डा0 ब्रह्म देव राम तिवारी)  
जिला मजिस्ट्रेट,  
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि : निम्न लिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-आयुक्त महोदय, कानपुर मण्डल कानपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2-मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीएसआईडीसी/नोडल अधिकारी, कानपुर को सादर सूचनार्थ।
- 3-डी0आई0जी0/एस0एस0पी0 कानपुर नगर।
- 4-नगर आयुक्त नगर निगम, कानपुर।
- 5-मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।
- 6-समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, नगर, कानपुर नगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 7-नगर मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट कानपुर नगर।
- 8-नोडल अधिकारी, केन्द्रीय कन्ट्रोल रूम, मोतीझील, कानपुर नगर।
- 9-उप निदेशक सूचना, कानपुर नगर।
- 10-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, कानपुर नगर।



जिला मजिस्ट्रेट,  
कानपुर नगर।